आदेश ब इजलास प्रकश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 304/2022 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

दी हांगकांग एण्ड शंघाई बैंकिग कार्पोरेशन लि॰ पता– प्लॉट नम्बर के–14–18, सेक्टर 18, नोएडा।

प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक

बनाम

1. श्री आषुतोष भारद्वाज,

   पता–(1) मकान नं॰ 10 सैक्टर 4, मालवीय नगर जयपुर ।

   (2) मार्फत माईन्स एण्ड जियोलोजी, राजस्थान सरकार, 5, गौरव नगर, सिविल लाईन्स, जयपुर।

   (3) प्लाट नम्बर 4/10, शिवानन्द मार्ग, जैन मन्दिर के पास, सैक्टर–4, मालवीय नगर, जयपुर ।

   (4) मार्फत माइन्स एण्ड जियोलोजी, राजस्थान सरकार, शास्त्री सर्किल, उदयपुर ।

2. श्रीमती अन्शु भारद्वाज,

   पता–(1) मकान नं॰ 10 सैक्टर 4, मालवीय नगर जयपुर ।

   (2) मार्फत यूनिर्वसिटी ऑफ राजस्थान, डिपार्टमेन्ट ऑफ इकोनोमिक्स, जे एल एन मार्ग, जयपुर

   (3) प्लाट नम्बर 4/10, शिवानन्द मार्ग, जैन मन्दिर के पास, सैक्टर–4, मालवीय नगर, जयपुर ।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002

उपस्थित :–

1. आशु यादव अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक की ओर से।
2. श्री टी॰ पी॰ पाण्डे अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से ।

आदेश दिनांक 14.07.2022

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को पुनभुर्गतान हेतु दिनांक 24.08.2017 को जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री आशुतोष भारद्वाज के स्वामित्व की सम्पति मकान नं॰ 4/10, मालवीय नगर, जयपुर क्षेत्रफल 198 वर्गमीटर बन्धक रख कर 60,00,000/–रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 01.10..2021 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री टी पी पाण्डे उपस्थित हो कर आपत्ति पेश की है।

3. उभय पक्ष को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजो का भलीभाति अवलोकन किया गया।

4. अप्रार्थीगण की ओर से उठाई गई आपत्तियों पर सुनवाई किये जाने का क्षेत्रधिकार इस न्यायालय को नहीं है । अप्रार्थीगण सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने के लिए स्वतंत्र है।

5. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 60,00,000/–रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन॰पी॰ए॰ घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 92,31,760.77 रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 01.10.2021 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था/बैंक को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था/बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था/बैंक बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ प्रस्तुत कर दिया है।

6. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक के पक्ष में अप्रार्थी श्री आशुतोष भारद्वाज के स्वामित्व की सम्पति मकान नं॰ 4/10 सैक्टर 4, मालवीय नगर जयपुर क्षेत्रफल 198 वर्गमीटर का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

7. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था/बैंक को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

8. आदेश आज दिनांक 14.07.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर